कार्यवृत्त

मंगलवार, 11 फाल्गुन, शक संवत्, 1942
(दिनांक : 02 मार्च, 2021)

खण्ड–59
अंक–2

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, भराडीसैंण (गैरसैंण) में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि दिनांक 07 फरवरी, 2021 को जनपद चमोली के जोशीमठ क्षेत्र में ऋषिगंगा नदी में गलेशियर फटने के कारण आई बाढ़ से भीषण आपदा आयी। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 50 से अधिक जानें गयी, पावर प्रोजेक्ट ध्वस्त हुए तथा बड़ा क्षेत्रफल प्रभावित हुआ। मारे गये लोगों को मैं इस सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके प्रियजनों को इस क्षति को सहने का बल प्रदान करे। अब मैं चाहूँगा कि दो मिनट के लिए मौन रखें।

तत्पश्चात सभी मा0 सदस्यों द्वारा खड़े हो कर श्रद्धांजलि स्वरूप दो मिनट मौन रखा गया।

मा0 नेता प्रतिपक्ष तथा विपक्ष अन्य मा0 सदस्यों द्वारा प्रदेश में बढ़ती महंगाई के सम्बन्ध में दी गई सूचना को लिये जाने की मांग की गई, श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल होने दें परन्तु मा0 सदस्य अपनी बात पर अड़े रहे और जोर–जोर से अपनी–अपनी बात कहने लगे।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि नियम–310 की सूचना को वे नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे। इस पर मा0 सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण किया।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 22 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से 07 सूचनायें स्वीकार कर रहे हैं। निम्नलिखित सूचनाएं मा0 सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयी।

1.	श्री विशन सिंह चुफाल	जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट नगर पालिका हेतु वर्ष 2011 में जल निगम डीडीहाट द्वारा बनायी गयी पम्पिंग योजना टैस्टिंग के दौरान पैकिंग फट जाने से उत्पन्न पेयजल समस्या से जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
2.	श्री दीवान सिंह बिष्ट	विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत भूमि–खरीद–फरोक्त के उपरान्त दाखिल खारिज न होने से जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
3.	श्री पुष्कर सिंह धामी	वन ग्रामों को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में। **(श्री अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)**

4.	श्री आदेश चौहान	नगर निगम हरिद्वार के वार्ड न0 38, 39, 40, 41, 42, 43 ,44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 एवं 52 में सीवर लाईनों के चोक हो जाने से जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
5.	श्री देशराज कर्णवाल ''चमार साहब''	जनपद हरिद्वार के इकबालपुर क्षेत्र में प्रस्तावित नहर का कार्य तत्काल शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
6.	श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी	चम्पावत विधान सभा क्षेत्र के टनकपुर में ट्रामा सेन्टर निर्माण न होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
7.	श्री प्रदीप बत्रा	रूड़की के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

काजी निजामुद्दीन, मा0 सदस्य उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा नियम 299 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न उठाया गया कि उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के अधीन सदन संचालित होता है। गत कई वर्षों से इस नियमावली के विभिन्न प्राविधानों को बार–बार शिथिल करने की परिपाटी हो रही है। यदि सामान्य परिस्थितियों में भी उक्त नियमों को शिथिल करना पड़ रहा है तो उचित होगा कि नियम समिति बनाकर नियमों में स्थायी रूप से संशोधन कर दिया जाय।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि नियमों को शिथिल करने का अधिकार मा0 अध्यक्ष में निहित है और उस विशेषाधिकार को चुनौती देना उचित नहीं है। श्री अध्यक्ष ने कहा कि आज नियम 299 के अन्तर्गत मा0 सदस्य, काजी निजामुद्दीन द्वारा सूचना दी गयी है, पूर्व से ही नियम समिति विधान सभा की स्थायी समिति के रूप में कार्य करती है। परिधि में न आने के कारण मैं इसे अस्वीकार करता हूँ।

संसदीय कार्य मंत्री ने ''उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अध्यादेश, 2021'' (अध्यादेश संख्या 01, वर्ष 2021) को सदन के पटल पर रखा।

(12:43 बजे मा0 उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

संसदीय कार्य मंत्री ने ''(उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) अध्यादेश, 2021'' (अध्यादेश संख्या 01, वर्ष 2021) को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने कम्पनी एक्ट 1956 की धारा 619(2) के अधीन उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड की वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 की वार्षिक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 395(बी) के अधीन पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड की वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 की वार्षिक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अधीन उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियमों का संकलन भाग–11 एवं 12 को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा 18(2) के अधीन उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (2019–20) (ए0टी0आर0सहित) को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने कम्पनी एक्ट 2013 अध्याय–23 धारा–395 की उपधारा–1 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड के वर्ष 2018–19 का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखा।

सचिव, विधान सभा ने घोषित किया किः–

(1) उत्तराखण्ड विनियोग (वर्ष 2020–2021 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 01 जनवरी, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का प्रथम अधिनियम बन गया।

(2) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 08 जनवरी, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का द्वितीय अधिनियम बन गया।

(3) उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 22 जनवरी, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का तीसरा अधिनियम बन गया।

(4) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901) (संशोधन) विधेयक 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 22 जनवरी, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का चौथा अधिनियम बन गया।

(5) उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 22 जनवरी, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का पांचवा अधिनियम बन गया।

(6) हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 22 जनवरी, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का छठवां अधिनियम बन गया।

सचिव, विधान सभा ने उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम–151 के अनुसार यूनिवर्सिटी आफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी रूड़की विधेयक, 2020 में किये गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखा।

सचिव, विधान सभा ने घोषित किया कि यूनिवर्सिटी आफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी रूड़की विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 फरवरी, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का सातवां अधिनियम बन गया।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम किशनपुर में सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध मे'' श्री सुन्दर सिंह पुत्र श्री दौलत राम ग्राम किशनपुर, पो0 भगवानपुर जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम करौंदी देहरादून रूड़की बाईपास पर अण्डरपास दिये जाने के सम्बन्ध में'' श्री महिपाल पुत्र श्री फूल सिंह, ग्राम करौंदी पो0भगवानपुर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम किशनपुर में सैनी समाज के लिए बारात घर बनाने के सम्बन्ध में'' श्री सुन्दर सिंह पुत्र श्री दौलतराम, ग्राम किशनपुर पो0 भगवानपुर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के पौराणिक एवं ऐतिहासिक हरज्यू देवता के मंदिर दफौट, चण्डिका मंदिर बागेश्वर व नीलेश्वर मन्दिर बागेश्वर का पर्यटन स्थल को विकसित करने के सम्बन्ध में''श्री रघुवीर सिंह दफौटी, ग्राम नायल, पो0 नायल जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के काफलीगैर में राजकीय महाविद्यालय के स्थापना के सम्बन्ध में'' श्री रवि करायत, ग्राम व पो0 करायत पालड़ी जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के जेठाई से तल्ला तिपोला मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री भूपाल सिंह, ग्राम व पो0 जेठाई जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''नई टिहरी विस्थापित लोगों को अलग–अलग दरों पर भुगतान किया गया है, वार्ड नं0–01से 06 व वार्ड 07 से 10 तक के भूस्वामित्व को अलग–अलग दरों से प्रतिकर भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री गब्बर सिंह गुनसोला पुत्र श्री बख्तावर सिंह, बौराड़ी, टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र टिहरी के ग्राम व पो0 चम्बा टिहरी गढ़वाल के निवासियों द्वारा नजूल भूमि फ्री होल्ड स्कीम के तहत वर्ष 2013–14 में धनराशि जमा करवाने के बाद भी स्वामित्व न दिये जाने के सम्बन्ध में'' श्री परमानन्द पुत्र श्री प्रेमदत्त बिजल्वाण, ग्राम व पो0 चम्बा, टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''टिहरी बांध विस्थापितों की भांति ग्राम व पो0 बौराड़ी नई टिहरी निवासियों को भवन निर्माण सहायता नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में'' श्री पंचम सिंह तोपवाल श्री सी0एस0 तोपवाल, ग्राम व पो0 बौराड़ी, टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र घनसाली, टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत सिंचाई नहरों एवं लघु सिंचाई गूलों के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री हरीश मैठाणी, ग्राम सेन्दुल केमर टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र घनसाली, टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत उत्तरकाशी– अंयारखाल– बूढ़ाकेदार – घनसाली, उत्तरकाशी – केमुण्डाखाल – चमियाला – घनसाली तथा गडोलिया–घनसाली मोटर मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के सम्बन्ध में'' श्री हरीश मैठाणी, ग्राम सेन्दुल केमर टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''टिहरी बांध के ऊपर आवागमन के सम्बन्ध में'' श्री सतीश चन्द्र बधानी, ग्राम बेलेश्वर, केमर, टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

उच्च शिक्षा मंत्री, ''इक्फाई विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021'' पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

उच्च शिक्षा मंत्री ने ''इक्फाई विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021'' को पुरःस्थापित किया।

कृषि मंत्री ने ''उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) (संशोधन) विधेयक, 2021'' पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

कृषि मंत्री ने ''उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) (संशोधन) विधेयक, 2021'' को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत 05 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वे इनमें से सभी सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुन रहे हैं।

प्रदेश में बढ़ती मंहगाई के सम्बन्ध में नियम–310 की नियम–58 में परिवर्तित सूचना के अन्तर्गत ग्राहयता के सम्बन्ध में मा0 नेता प्रतिपक्ष, मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री करन माहरा, श्रीमती ममता राकेश, श्री राजकुमार एवं श्री आदेश सिंह चौहान ने अपने विचार व्यक्त किये।

(13:20 बजे श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए)

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर दिया। श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया। संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर से संतुष्ट न होने पर विपक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा सदन से बर्हिगमन किया गया

14 बजकर 07 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही भोजनावकाश हेतु 15:00 बजे तक के लिये स्थगित की।

सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता मे 15:00 बजे पुनः आरम्भ हुई।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग के पद पर नियुक्ति में एन0एच0एम0, उपनल तथा मेडिकल कालेज में संविदा के तहत कार्यरत स्टाफ नर्सों को अधिमान/बोनस अंक न दिये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री प्रीतम सिंह पंवार ने विचार व्यक्त किये।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

शान्तिपूर्ण ढंग से घाट सड़क को डेढ़ लेन किये जाने की मांग हेतु प्रदर्शन कर रहे स्थानीय प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह ने विचार व्यक्त किये।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण से संतुष्ट न होने पर विरोध में विपक्ष के मा0 सदस्य सदन के वेल में आकर जोर जोर से नारे लगाने लगे। श्री अध्यक्ष ने उनसे स्थान ग्रहण करने के लिए अनुरोध किया परन्तु मा0 सदस्य नारे लगाते रहे जिससे व्यवधान होने लगा। श्री अध्यक्ष द्वारा बार–बार स्थान ग्रहण करने का अनुरोध करने पर भी विपक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा जोर जोर से बात कहते हुए नारे लगाते हुए सदन से बहिगर्मन किया गया।

श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

श्रीमती ऋतु खण्डूडी भूषण, सदस्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :–

''यह सदन माननीय राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2021 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

श्री संजीव आर्य, सदस्य विधान सभा ने उक्त प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :–

श्री प्रीतम सिंह पंवार,
श्री दिलीप रावत,
(16:40 बजे मा0 उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)
श्री धन सिंह नेगी,
श्री पुष्कर धामी,
श्री देशराज कर्णवाल,
(17:07 बजे मा0 अध्यक्ष पीठासीन हुए।)
श्री विनोद चमोली,
श्री नवीन दुम्का,
श्री सुरेश राठौर,
श्री मुकेश कोली,
श्री प्रदीप बत्रा,
श्री केदार सिंह रावत,
श्री यतीश्वरानन्द,
श्रीमती चन्द्रा पन्त,
श्री भरत चौधरी,
श्री महेन्द्र भटट,
श्री बलवन्त सिंह भौंर्याल,
श्री दीवान सिंह बिष्ट,
श्री विशन सिंह चुफाल,
श्री हरबंस कपूर,
श्री राम सिंह कैड़ा,
श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत कुल 09 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से :–

मा0 सदस्य श्री बलवन्त सिंह भौंर्याल की सूचना जो जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट क्षेत्रान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) नाकुरी की कक्षाओं का संचालन नवनिर्मित भवन में कराये जाने के सम्बन्ध में है, को नियम– 53 के अंतर्गत वक्तव्य के लिए तथा

मा0 सदस्य श्री पूरण सिंह फर्त्याल की सूचना जो गौरा देवी कन्या धन योजना का पात्र छात्राओं को लाभ नहीं मिल पाने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में है, को नियम– 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहे हैं। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

सदन की कार्यवाही 18 बजकर 42 मिनट पर अगले दिन 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

मुकेश सिंघल,
सचिव (प्रभारी)
विधान सभा।

स्वीकृत,

प्रेम चन्द अग्रवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।